न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 113/2013–14

ओनियन डेवलपर्स इन्वेस्ट देहरादून

–बनाम–

उप जिलाधिकारी, देहरादून

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : डी0आर0 तिवारी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल, विशेष अधिवक्ता

बावत
मौजा धोरणखास, परगना केन्द्रीयदून
तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता ने विद्वान उप जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आदेश संख्या–1169/पेशकार–2013 दिनांक 24–10–2013 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत सहायक श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री मोहन सिंह नेगी, निवासी सौन्धोवाली, धोरण, जिला देहरादून ने जिलाधिकारी, देहरादून को एक शिकायती पत्र दिनांक 29–08–2013 प्रेषित किया जिसपर तहसीलदार, सदर, देहरादून को आख्या/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार, देहरादून की आख्या दिनांक 08–10–2013 के साथ जिलाधिकारी, देहरादून ने दिनांक 10–10–2013 को यह पत्र उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून को भेजा गया जिसपर उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून ने अपने आदेश संख्या–1169/पेशकार–2013, दिनांक 24–10–2013 से वादग्रस्त भूमि को पूर्णतः कुर्क किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि निगरानीकर्ता ने जब दिनांक 09–12–2013 को अपने खाते से सम्बन्धित खतौनी प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ कि उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 24–10–2013 से निगरानीकर्ता की भूमि को पूर्णतः कुर्क कर दिया गया है और साथ ही भूमि के क्रय–विक्रय एवं नामान्तरण पर रोक लगाये जाने के आदेश पारित किए गए हैं। निगरानीकर्ता की सम्पत्ति सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के आदेश दिनांक 15–04–2007 से खतौनी में दर्ज है जो लगातार दर्ज चला आ रहा है। निगरानीकर्ता की प्रश्नगत भूमि को तत्कालीन सहायक कलेक्टर, देहरादून के आदेश दिनांक 21–08–97 से धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में दर्ज किया गया था और इस आदेश के विरूद्व राजस्व परिषद, उ0प्र0 में योजित

निगरानियों एवं उस आदेश के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन में दिनांक 21–11–2005 को भूमि को मूल खातेदारों के नाम सम्बन्धित खाते में विधिवत दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के आदेश दिनांक 22–04–2013 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तहसीलदार ने प्रश्नगत भूमि को निगरानीकर्ता के नाम दर्ज किया था। दिनांक 24–10–2013 को पुनः तहसीलदार देहरादून ने निगरानीकर्ता के खाते में उप जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश का इन्द्राज खतौनी में अंकित कर दिया। परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश प्रशासनिक आदेश है जो त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश एकपक्षीय आदेश है। निगरानीकर्ता की भूमि को कुर्क किए जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। वादग्रस्त भूमि को मात्र शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर कुर्क किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रेषित नहीं की गई है जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है। अवर न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि गोल्डन फारेस्ट से सम्बन्धित है और भूमि को पूर्व में राज्य सरकार में निहित किया गया था, परन्तु निगरानीकर्ता ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रश्नगत भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया। राज्य सरकार की भूमि को क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण से रोकने हेतु प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

मैंने अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि एक व्यक्ति श्री रमेश चन्द्र द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर तहसीलदार, देहरादून से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार, देहरादून ने अपनी आख्या दिनांक 08–10–2013 में दाखिल खारिज वाद पत्रावलियां उनके कार्यालय में उपलब्ध होने की आख्या प्रेषित की गई।उप जिलाधिकारी,सदर, देहरादून ने अपने आदेश संख्या–1169/पेशकार–2013, दिनांक 24–10–2013 से विवादित भूमि को पूर्णतः कुर्क करने तथा क्रय विक्रय एवं नामान्तरण पर रोक लगाये जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान उप जिलाधिकारी, देहरादून ने मात्र शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रश्नगत भूमि को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किए हैं। इस आदेश को पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को उसका पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान ही नहीं किया गया। निगरानीकर्ता ने यह तथ्य भी न्यायालय के संज्ञान में लाया कि अवर न्यायालय की कार्यवाही धारा–145 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत की

गई कार्यवाही है जो वैधानिक नहीं है। वादग्रस्त भूमि को कुर्क किये जाने का कोई विधिक आधार इस न्यायालय को दृष्टिगत नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही में भू–राजस्व अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का कोई अनुपालन अवर न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय का आदेश इस आशय से निरस्त होने योग्य है कि अवर न्यायालय द्वारा सम्पादित कार्यवाही अधिनियम में दी गई विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है।

निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 24–10–2013 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 6 जून, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।